

## हिंदी भाषा में भाषा नीति

चल्ला विधायी

हिंदीअध्यापिका, रामचंद्रपुरम।

### भाषा का परिभाषा :

हमारे भावों को व्यक्त करने वाले माध्यम को भाषा कहते हैं। इस माध्यम से हम दूसरों की भावों को भी समझ सकते हैं। भाषा मनुष्य के विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह समाज में आपसी संवाद और समझ को विकसित करती है तथा संस्कृति और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने में सहायक होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषता और पहचान होती है, जो उसे अन्य भाषाओं से अलग बनाती है। भाषा के माध्यम से ही ज्ञान का आदान-प्रदान संभव होता है और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाता है।

भाषा केवल संचार का साधन ही नहीं, बल्कि किसी समाज की पहचान और उसकी सांस्कृतिक धरोहर भी होती है। यह लोगों के विचार, रीति-रिवाज और जीवनशैली को दर्शाती है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग भाषाएँ और बोलियाँ पाई जाती हैं, जो उस स्थान की विविधता को उजागर करती हैं। भाषा के माध्यम से ही साहित्य, कला और ज्ञान का संरक्षण संभव होता है, जिससे समाज का समग्र विकास होता है।

### हिंदी भाषा :

भारत में अपभ्रंश के अंतिम रूप में लगभग 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का आगमन हुआ इसके लिपी देवनागरी हैं। हिंदी भाषा भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है और यह देश की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा, साहित्य और सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति भी है। भारत के अनेक राज्यों में हिंदी बोली और समझी जाती है, इसलिए यह लोगों को आपस में जोड़ने वाली एक सशक्त कड़ी बन गई है। विद्यालयों, कार्यालयों और जनसंचार माध्यमों में भी हिंदी का व्यापक उपयोग होता है।

हिंदी भाषा का विकास समय के साथ निरंतर होता रहा है और यह आज आधुनिक तकनीक के युग में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी सरल, स्पष्ट और वैज्ञानिक मानी जाती है, जिससे इसे सीखना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। आज सोशल मीडिया, ब्लॉग, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे यह नई पीढ़ी के बीच और अधिक लोकप्रिय बन रही है। हिंदी भाषा न केवल भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय गौरव की भी प्रतीक है।

### भाषा नीति :

जिस नीति में सभी भाषा का सम्मान किया जाता है तो उसे नीति को भाषा नीति कहते हैं। सरकार द्वारा कानून, नियमों या औपचारिक निर्णय के माध्यम से किसी देश या क्षेत्र में भाषाओं का उपयोग, विकास और संरक्षण को विनियमित करने वाली योजनाओं से है। भाषा नीति किसी देश या राज्य द्वारा निर्धारित वह दिशा-निर्देश होती है, जिसके माध्यम से विभिन्न भाषाओं के उपयोग, संरक्षण और विकास को सुनिश्चित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भाषाई विविधता को बनाए रखते हुए प्रशासन, शिक्षा और संचार में संतुलन स्थापित करना होता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा नीति का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ अनेक भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। इसलिए ऐसी नीति आवश्यक होती है जो सभी भाषाओं को सम्मान दे और लोगों के बीच एकता को बढ़ावा दे।

भाषा नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी होता है कि देश की सभी भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन किया जाए। इसके लिए सरकार विभिन्न कार्यक्रमों, शिक्षा नीतियों और सांस्कृतिक पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देती है। केंद्रीय हिंदी

निदेशालय तथा साहित्य अकादेमी जैसी संस्थाएँ भाषाओं के विकास और प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक संतुलित भाषा नीति न केवल प्रशासनिक कार्यों को सुचारु बनाती है, बल्कि देश की सांस्कृतिक विविधता को भी संरक्षित रखते हुए राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करती है।

### हिंदी भाषा में भाषा नीति :

भारत की भाषा नीति के तहत, संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार हिंदी संघ के आधिकारिक राजभाषा है। इसके साथ ही अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में उपयोग करने के अनुमति है। यह नीति जिसे राजभाषा अधिनियम 1963 द्वारा लागू किया गया है। बहुभाषिकता को बढ़ावा देती है। नई शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा सूत्र को बढ़ावा दिया गया है, जो हिंदी साहित्य अन्य भारतीय भाषाओं के विकास पर जोर देता है।

भारत के भाषा नीति एक बहुभाषिक समन्वयकारी और लचिली नीति है, जो भाषाई विविधता का सम्मान करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी को बढ़ावा देना है। भारत में 114 भाषाएँ बोली जाते हैं हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी है।

भारत की भाषा नीति केवल प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक समावेशन से भी जुड़ी हुई है। विभिन्न राज्यों को अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में अपनाने का अधिकार दिया गया है, जिससे स्थानीय भाषाओं और बोलियों का संरक्षण होता है। यह नीति भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी करती है और उन्हें अपनी भाषा में शिक्षा तथा अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार, भाषा नीति देश में विविधता के साथ एकता को बढ़ावा देती है।

वैश्वीकरण और तकनीकी विकास के दौर में भाषा नीति का स्वरूप और भी महत्वपूर्ण हो गया है। डिजिटल माध्यमों, शिक्षा और प्रशासन में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस नीति का उद्देश्य केवल भाषाओं का संरक्षण नहीं, बल्कि उन्हें आधुनिक संदर्भ में सशक्त बनाना और आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुँचाना है।

भारत की भाषा नीति में समय-समय पर परिवर्तन और सुधार किए जाते रहे हैं ताकि बदलती सामाजिक और शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप भाषाओं का विकास हो सके। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारतीय भाषाओं के अध्ययन, शोध और साहित्य को प्रोत्साहित करती हैं। विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर भी बल दिया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों की समझ और सीखने की क्षमता में वृद्धि हो सके।

इसके अतिरिक्त, भाषा नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह प्रशासनिक कार्यों में सरलता और प्रभावशीलता लाने का प्रयास करती है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है ताकि आम नागरिक आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकें। साथ ही, अनुवाद और व्याख्या सेवाओं के माध्यम से विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद को सुगम बनाया जाता है, जिससे देश में भाषाई समन्वय और सहयोग को बढ़ावा मिलता है।

### भारत में भाषा नीति :

भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और इतिहास के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग आपसी सद्भाव और एकता के साथ रहते हैं, जो “विविधता में एकता” की भावना को दर्शाता है। भारत की सभ्यता अत्यंत प्राचीन है और यह ज्ञान, कला तथा आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।

प्राकृतिक दृष्टि से भी भारत अत्यंत समृद्ध है, जहाँ हिमालय की ऊँची पर्वत श्रेणियों से लेकर विस्तृत मैदान, रेगिस्तान और समुद्री तट तक विविध भौगोलिक स्वरूप पाए जाते हैं। कृषि, उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने निरंतर प्रगति की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जैसी संस्थाओं ने देश को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है। इस प्रकार भारत एक उभरती हुई शक्ति है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास के साथ विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

भारत में भाषा नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है। भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने और अपनी भाषा तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन देती है। डिजिटल युग में भी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वे तकनीकी क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। इस प्रकार, भारत की भाषा नीति न केवल प्रशासनिक सुविधा प्रदान करती है, बल्कि भाषाई समानता और सांस्कृतिक समृद्धि को भी बढ़ावा देती है।

भारत की भाषा नीति में मीडिया और संचार माध्यमों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का व्यापक प्रसार हो रहा है। इससे न केवल भाषाओं की पहुँच बढ़ती है, बल्कि नई पीढ़ी में अपनी भाषा के प्रति जुड़ाव भी मजबूत होता है। सरकार और निजी संस्थाएँ मिलकर क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री तैयार कर रही हैं, जिससे ज्ञान और सूचना का प्रसार अधिक प्रभावी ढंग से हो सके।

भविष्य के संदर्भ में भाषा नीति का लक्ष्य तकनीकी और वैश्विक स्तर पर भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुवाद सॉफ्टवेयर और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से भाषाओं को नई दिशा मिल रही है। इसके साथ ही, भाषा नीति यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि किसी भी भाषा को कमतर न आँका जाए, बल्कि सभी भाषाओं को समान सम्मान और अवसर मिले। इस प्रकार, यह नीति भारत की बहुभाषिक पहचान को बनाए रखते हुए प्रगति और विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।

#### **अमूर्त :**

भाषा नीति का अमूर्त स्वरूप उसके सिद्धांतों, मूल्यों और उद्देश्यों में निहित होता है, जो किसी भी समाज की भाषाई व्यवस्था को दिशा प्रदान करते हैं। यह केवल नियमों और प्रावधानों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे आदर्शों को भी व्यक्त करती है। भारतीय संविधान में निहित भाषा संबंधी प्रावधान इसी अमूर्त दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जहाँ सभी भाषाओं को सम्मान और संरक्षण देने की भावना प्रमुख है।

भाषा नीति का यह अमूर्त पक्ष समाज में एकता, पहचान और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देता है। यह विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, ताकि कोई भी भाषा या समूह उपेक्षित न हो। शिक्षा, प्रशासन और संचार के क्षेत्रों में भाषा नीति के ये अमूर्त तत्व मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार, भाषा नीति केवल व्यावहारिक नियमों का समूह नहीं, बल्कि एक व्यापक वैचारिक ढाँचा है जो समाज की भाषाई और सांस्कृतिक संरचना को सुदृढ़ बनाता है।

भारत में भाषा नीति संवैधानिक प्रावधान है। यह नीति हिंदी के अनुनय , प्रोत्साहन और सद्भावना के माध्यम से सरकारी कामकाज में प्रगतिशील उपयोग पर जोर देती है। नीतियां भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारतीय भाषाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

#### **उपसंहार :**

इस प्रकार, भाषा नीति केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का आधार भी है। बदलते समय के साथ इसका निरंतर विकास आवश्यक है, ताकि भारतीय भाषाएँ आधुनिक युग में भी प्रासंगिक बनी रहें और देश की पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत कर सकें।

भारतीय भाषा नीति विविधता में एकता पर प्रतीक है जो हिंदी के प्रसार के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण को भी सुनिश्चित करते हैं। हिंदी राष्ट्र के एकता की प्रतीक है जिसे प्रशासनिक कार्य कार्य के साथ-साथ भावात्मक एकता के माध्यम के रूप में भी अपनाया जाना चाहिए।